

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अदालत - जिला कलक्टर, - मुकाम - भरतपुर

मुशताक बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 06 सन् 2022

प्रा. नं. 13/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
29.8.22	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सुपुर्दगार ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि पुलिस थाना नगर द्वारा एफ.आई.आर. नं. 433/2022 अन्तर्गत धारा 3, 5, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम में जप्त किये वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप नम्बर RJ40-GA-4773 को सुपुर्दगी में दिया जावे। थानाधिकारी नगर द्वारा उक्त वाहन से सम्बन्धित गोवंश अधिनियम की धारा 6ए के तहत कोई भी प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 6'ए' प्रकरण के बिना प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी चलने योग्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाती है। प्रकरण धारा 6ए प्राप्त होने पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश करने के लिये स्वतन्त्र है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर भरतपुर (राज०)</p>	